e-glice NO .681434/20/CF

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-03/2020-Estt. (RCT)स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक/Dated 11 JUL 2020

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मुख्य तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलिमक) के पद पर पदोन्नति।

Subect:- Promotion to the post of Chief Technical Officer (Ophthalmic) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 09.06.2020 को मुख्य तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलिमिक) के पद हेत् विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती अनीता गुप्ता, सीनीयर तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलिमक)) को वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -10 में मुख्य तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलिमक) के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Chief Technical Officer (Ophthalmic) held on 09.06.2020 and its acceptance by the Competent Authority, Ms. Anita Gupta, Sr. Tech. Officer (Ophthalimic) is promoted to the post of Chief Technical Officer (Ophthalmic) in Level-10 of the pay matrix from the date she assumes the charge of the post of Chief Technical Officer (Ophthalmic).

Her seniority in the post of Chief Technical Officer (Ophthalmic) will be effective from the date of vacancy i.e. 01.07.2020

हांलािक, उनकी वरियता मुख्य तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलिमिक) के पद पर पद रिक्त होने कि तिथि अर्थात 01.07.2020 से प्रभावी होगी।

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई.,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Balladhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोधित आश्वस्तित वृति प्रगति योजना/संशोधित आशवस्तित वृति प्रगति योजना के अंतर्गत वितीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial upgradation under ACP/MACP Scheme, prior to this promotion.